

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

आदेश

उद्योग विभाग के अंतर्गत निगम/बोर्ड/प्राधिकार/अन्य लोक उपक्रमों से संबंधित प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, निविदा एवं समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाने वाले किसी भी प्रकार के विज्ञापित प्रकाशन का कार्य नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर समेकित रूप से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, पटना के माध्यम से किया जायेगा।

(2) उक्त पर होनेवाले व्यय का वहन औद्योगिक अभियान मद से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिल कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक:- 535

3(स0)/उ0स्था0(विविध)20/18

पटना, दिनांक:- 23-01-19

प्रतिलिपि:-सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5(स0) एवं प्रशाखा-6(स0)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, अधीनस्थ सभी लोक उपक्रम/निगम/बोर्ड/प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव